

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1065/2018-34/21-22 50510/राँची, दिनांक 02-02-2022

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिनू राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के अधीन गढ़वा जिलान्तर्गत केतार प्रखण्ड के सिंहपुर ग्राम के पास पण्डा नदी से हो रहे कटाव का संरक्षण (Protection) कार्य हेतु रु 101.335 लाख (एक करोड़ एक लाख तैंतीस हजार पाँच सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

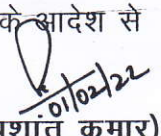
आदेश स्वीकृत

- जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के अधीन गढ़वा जिलान्तर्गत केतार प्रखण्ड के सिंहपुर ग्राम के पास पण्डा नदी से हो रहे कटाव का संरक्षण (Protection) कार्य हेतु रु 101.335 लाख (एक करोड़ एक लाख तैंतीस हजार पाँच सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।
- योजना अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जायेंगे :-
 - पण्डा नदी के बायें किनारे सिंहपुर ग्राम में बाढ़ सरक्षात्मक कार्य हेतु 50 मी० की लम्बाई में Edge Crating का कार्य।
 - शेष 250.00 मी० लम्बाई में स्टड एवं बेडबार का निर्माण कार्य।
- यह कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रारंभ कर वर्ष 2022-23 में पूर्ण कराया जायेगा।
- इस कार्य पर होनेवाला व्यय:-

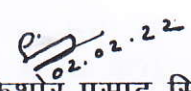
मुख्य शीर्ष -4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत प्रविषय, उप मुख्य शीर्ष -01- बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष -789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष - 05 निर्माण, 45 -निर्माण कार्य के अंतर्गत भारित होगा।
- वर्ष 2021-22 हेतु बजट शीर्ष 4711-01-789-58-00-05-45 अन्तर्गत पुनरीक्षित बजट उपबंध रु० 647.00 लाख मात्र है।
- प्रस्तावित कार्य जल पथ प्रमण्डल गढ़वा द्वारा कराया जायेगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल गढ़वा होंगे एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
- प्रस्तावित कार्य के लिए राशि की निकासी कोषागार गढ़वा से किया जायेगा।
- इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
- कोषागार से राशि की निकासी प्राक्कलन के अनुरूप वास्तविक कार्य के आधार पर तैयार विपत्र के आलोक में की जायेगी।

11. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
12. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव, जल संसाधन विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।
13. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो-हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1065/2018-34/21-22 50 वीं /राँची, दिनांक 02-02-2022
प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना एवं विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1065/2018-34/21-22 50 वीं /राँची, दिनांक 02-02-2022
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

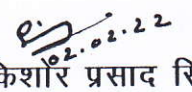
पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1065/2018-34/21-22 50 वीं /राँची, दिनांक 02-02-2022

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर / कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल गढ़वा /वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल -2, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1065/2018-34/21-22 50 वीं /राँची, दिनांक 02-02-2022

प्रतिलिपि :- आयुक्त, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिला अंतर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1065/2018-34/21-22 50 वीं /राँची, दिनांक 02-02-2022
प्रतिलिपि :- माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

**झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग**

विभागीय स्वीकृति के विचारार्थ संलेख

विषय :- जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के अधीन गढ़वा जिलान्तर्गत केतार प्रखण्ड के सिंहपुर ग्राम के पास पण्डा नदी से हो रहे कटाव का संरक्षण (Protection) कार्य हेतु रु 101.335 लाख (एक करोड़ एक लाख तैंतीस हजार पाँच सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

1. राज्यान्तर्गत अत्याधिक वर्षा के कारण नदियों में विभिन्न स्थलों पर हुए कटाव एवं भविष्य में होने वाले कटाव के रोकथाम के लिए कराये जानेवाले कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों हेतु क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) एवं योजना समीक्षा समिति (SRC) द्वारा अनुशंसित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है।
2. दिनांक-06.12.2021 को सम्पन्न राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) द्वारा किये गए अनुशंसा के आलोक में दिनांक-16.12.2021 को सम्पन्न योजना समीक्षा समिति (SRC) की बैठक में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के प्रक्षेत्राधीन क्रमांक-21 पर योजना के कार्यान्वयन की सहमति दी गई।
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर द्वारा इस कार्य के लिए रु० 101.335 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।
4. योजना अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जाने का प्रस्ताव है :-
 - (i) पण्डा नदी के बायें किनारे सिंहपुर ग्राम में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य हेतु 50 मी० की लम्बाई में Edge Crating का कार्य।
 - (ii) शेष 250.00 मी० लम्बाई में स्टड एवं बेडबार का निर्माण कार्य।
5. कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल गढ़वा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
6. प्रस्तावित कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रारंभ कर वर्ष 2022-23 में पूर्ण कराया जायेगा।
7. इस कार्य पर होनेवाला व्यय :-

मुख्य शीर्ष -4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -01- बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष -789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष - 05 निर्माण, 45 -निर्माण कार्य के अंतर्गत भारित होगा।
8. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित बजट में 647.00 लाख उपबंधित है।
9. प्रस्ताव है कि जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के अधीन गढ़वा जिलान्तर्गत केतार प्रखण्ड के सिंहपुर ग्राम के पास पण्डा नदी से हो रहे कटाव का संरक्षण (Protection) कार्य हेतु रु 101.335 लाख (एक करोड़ एक लाख तैंतीस हजार पाँच सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए।
10. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्रार्थित है।


मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर


मुख्य अभियंता (मो०)
जल संसाधन विभाग, राँची


अभियंता प्रमुख-I
जल संसाधन विभाग, राँची।